

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,आर्थिक एवं सांख्यिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र के मान राशि रु. 4.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें राशि रु. 2.96 करोड़ को माननीय विधायकों एवं राशि रु. 1.00 करोड़ को प्रभार मंत्री के द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर मार्गदर्शिका में दिये निर्देश के अनुरूप निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाती है।	3640000	माननीय विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यों की स्वीकृति जारी की जायेगी।	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सदस्य सचिव, राज्य नीति आयोग

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	राज्य योजना सुदृढीकरण मूल्यांकन एवं अनुसंधान	राज्य नीति आयोग द्वारा समसामायिक घटनाओं/ आवश्यकताओं के अनुरूप समावेशी विकास के लिए लघुकृत शोध, योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन उपरांत विभागों को परामर्श रूप में सेवा प्रदान करना ।	40000	गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं मूल्यांकन के कार्य में सहयोग प्रदान करना ।	
2	जिला योजना का सुदृढीकरण	स्थानीय निकायों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से जिलों की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुरूप जिला योजना का निर्माण करना । राज्य / जिला स्तरीय अधिकारियों / कर्मचारियों का जिला योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सामर्थ्य संवर्धन क्षमता का विकास करना ।	5000	1. प्रदेश के समस्त जिलों की ड्राफ्ट जिला विकास योजना का निर्माण 2. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण एवं सामर्थ्य संवर्धन क्षमता का विकास करना तथा सभी ब्लॉक मुख्यालय के अधिकारी /कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	